

CP/A

RB/ESTT.No. 17/2012 DY. G/O H/RD

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF RAILWAYS
(RAILWAY BOARD)


N.W

No. E(NG)I-2009/TR/7

New Delhi, dated 03.02.2012

13/2/12
CP/A
M/M
9/3/12

The General Managers (P)
All Indian Railways/PUs
As per standard list.



Sub: Periodical transfer of non-gazetted Railway employees.

86

The staff side viz AIRF & NFIR, in the DC/JCM meeting held on 4th May & 29th June, 2011, while referring to Board's various letters relating to periodical transfer of non-gazetted staff of the Railways, have demanded that consolidated instructions issued on the subject, may be reiterated for compliance. The matter has accordingly been considered by the Board, the views of both the Federations have also been taken into consideration, and it has now been decided to reiterate in consolidated form covering all the instructions, as below, for strict compliance of all concerned.

- | | |
|---|--|
| 1. No. E(NG)II/78/TR/85 dated 27.04.79 | In terms of the instructions contained in the Ministry's marginally noted letters, Railway employees holding sensitive posts, including those who frequently come into contact with public and/or contractors/suppliers, are required to be transferred every four years. For this purpose, a comprehensive list of sensitive posts has also been circulated. The thrust of these instructions is on transfer from one place to another. However, when transfer of such employees to a different place is not possible, they are to be shifted to a different seat in the same place to meet the requirement of periodical transfer. |
| 2. No. E(NG)II/78/TR/82 dated 07.02.80 | |
| 3. No.E(NG)I/80/TR/28 dated 22.08.80, 31.12.81, 19.02.86 and 16.10.87 | |
| 4. No.E(NG)I/87/TR/34/NFIR /JCM/DC dated 27.09.89 and 17.11.92 | |
| 5. No.E(NG)I/94/TR/29 dated 02.05.95 | |
| 6. No.E(NG)I/96/TR/42 dated 26.11.96. | |

1. No.E(NG)I/80/TR/28
dated 22.01.82,
19.02.86, 16.10.87,
21.7.88 and 13.04.89.
2. No.E(NG)I/92/TR/32/JCM/
DC dated 10.08.93,
05.05.94 and 29.06.95.
3. No.E(NG)I-98/TR/11
dated 30.10.98 and
02.11.98

Instructions also exist vide this Ministry's letters quoted in the margin that Ticket Checking staff as also other staff in mass contact areas, detected to be indulging in malpractices should be sent on inter-divisional transfers as a matter of policy. Besides, the staff who have repeatedly figured in substantiated vigilance cases and where penalties have been imposed, are required to be reviewed at appropriate level and such staff are also to be transferred on inter-divisional basis. Such Ticket Staff may however, be transferred to an adjoining Division on the same Railway or to a Division of some other Railway adjoining the Railway from which they are transferred if employee concerned make a request to that effect. The ticket checking staff who have been transferred out of the Division on complaints of corruption and who were later exonerated or awarded a penalty of censure, may not be brought back to the parent Division, even if they so desire.

1. No.E(NG)II/77/TR/112
dated 06.02.1978 &
27.05.1978

The genuine grievance of the staff transferred at the instance of S.P.E. and Vigilance Organization, may be heard by the Divisional Railway Manager in respect of divisionally controlled staff and by the Chief Personnel Officer (A) in respect of Head Quarters controlled staff before a final decision to effect the transfers is taken.

2. No.E(NG)II-70/TR/28
dated 14.10.70

General Managers could however, exercise their discretion to transfer non-gazetted staff from Stations/Posts against whom there are complaints – the man with longest stay being shifted first and those on the verge of their retirement {with one (1) or two (2) years service left} may be exempted if complaints against them are not serious.

3. No.E(NG)I-81/TR/19 dated 23.05.81 Frequent transfer of Railway servants should not be ordered. When the transfer of the railway servant is on temporary basis, the same should be mentioned in his transfer orders.


4. No.E(NG)I-2002/TR/19 dated 13.9.2002. Station Masters/Assistant Station Masters posted at Way Side Stations involved only in train passing duties and not doing any commercial duties may be exempted from the purview of the periodical transfer.

1 No.E(NG)I-2009/TR/7 dated 04.03.2010 It was emphasized that while ensuring compliance and the fundamental objectives of the scheme of periodical transfers, the academic session of the children of the employees being transferred may also be kept in view.

1. No.E(L)60UT1-31 dated 19.02.1960
2. No.E(L)61PE1-43 dated 31.07.1961.
3. No.E(LR)75 UT1-176 dated 08.08.75 and
4. No.E(LR)III/79/UTF/14 dated 16.01.1980 .
5. No.E(L)64 UTI-113 dated 06.10.1964 & 21.11.1964. The instructions as contained in Board's various letters prescribing the procedure for transfer of Union Office bearers as reiterated vide Board's letter No. E(LR)III-79/UTF/14 dated 16.01.1980, still hold good. Kindly ensure compliance.

2. While referring to this circular, the original letters referred to herein should be read for proper appreciation. This circular is only a consolidation of the instructions issued so far and should not be treated as a substitution to the originals. In case of doubt, the original circulars should be relied upon as authority. If any circular on the subject which has not been superseded, has not been taken into consideration while preparing this consolidated letter due to oversight, the said circular should be treated as valid and operative.

Please acknowledge receipt


(M.K. Meena)
Dy. Director Estt.(N)
Railway Board

भारत सरकार
रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड)

सं. ई (एनजी)I-2009/टीआर/7

नई दिल्ली, दिनांक: 03.02.2012

महाप्रबंधक (कार्मिक),
सभी भारतीय रेलें /उत्पादन इकाइयां
(मानक सूची के अनुसार)

विषय: अराजपत्रित रेलवे कर्मचारियों का नियतकालिक स्थानांतरण।

कर्मचारी पक्ष अर्थात् एआईआरएफ एवं एनएफआईआर ने 4 मई एवं 29 जून 2011 को संपन्न डीसी/जेसीएम की बैठक में रेलों के अराजपत्रित कर्मचारियों के नियतकालिक स्थानांतरण से संबंधित बोर्ड के विभिन्न पत्रों का हवाला देते हुए यह मांग की है कि इस विषय पर जारी समेकित अनुदेशों को अनुपालन के लिए दोहराया जाए। तदनुसार बोर्ड द्वारा इस मामले पर विचार किया गया और दोनों फेडरेशनों के विचारों को भी ध्यान में रखा गया है तथा अब यह विनिश्चय किया गया है कि सभी अनुदेशों को शामिल करते हुए इन्हें निम्नानुसार समेकित कर सर्वसंबंधितों के कड़ाई से अनुपालन के लिए दोहराया जाए:-


1. सं. ई (एनजी)II-78/टीआर/85
दिनांक 27.04.79
 2. सं. ई (एनजी)II-78/टीआर/82
दिनांक 07.02.80
 3. सं. ई (एनजी)I-80/टीआर/28
दिनांक 22.08.80, 31.12.81,
19.02.86 एवं 16.10.87
 4. सं.ई(एनजी)I/87/टीआर/34/
एनएफआईआर/जेसीएम/डीसी,
दिनांक 27.09.89 एवं 17.11.92
 5. सं. ई (एनजी)I-94/टीआर/29
दिनांक 02.05.95
 6. सं. ई (एनजी)I-96/टीआर/42,
दिनांक 26.11.96.
- इस मंत्रालय के मार्जिन में दिए गए पत्रों में अंतर्विष्ट अनुदेशों के अनुसार संवेदनशील पदों पर कार्यरत रेल कर्मचारियों और जो निरंतर जनता और /अथवा ठेकेदारों/सप्लायरों के सम्पर्क में आते हैं, को प्रत्येक चार वर्ष में स्थानांतरित किया जाना अपेक्षित है। इस प्रयोजन के लिए संवेदनशील पदों की एक व्यापक सूची भी परिपत्रित की गई है। इन अनुदेशों का मुख्य उद्देश्य उन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित किया जाना है। बहरहाल, जब ऐसे कर्मचारियों का स्थानांतरण किसी अलग स्थान पर करना संभव न हो तो उन्हें नियतकालिक स्थानांतरण की आवश्यकता को पूरा करने के लिए उसी स्थान पर दूसरी सीट पर शिफ्ट किया जाना होता है।
1. सं. ई (एनजी)I/80/टीआर/28
दिनांक 22.01.82, 19.02.86,
16.10.87, 21.7.88 एवं
13.04.89
- इस मंत्रालय के मार्जिन में दिए गए पत्रों में अनुदेश भी मौजूद है कि टिकट चैकिंग स्टाफ और जन-संपर्क वाले अन्य कर्मचारी भी यदि कदाचारों में लिप्त पाए जाते हैं तो नीति विषयक मामले के रूप में उनका अंतर-मंडल स्थानांतरण किया जाए। इसके अलावा, उन कर्मचारियों जिन पर अक्सर सतर्कता मामलों में दोष सिद्ध हुए हों और जहां शास्तियां लगाई गई हो, की उपयुक्त

2. सं.ई(एनजी)I/92/टीआर/32/जेसीएम /डीसी,दिनांक10.08.93, 05.05.94, एवं 29.06.95
स्तर पर पुनरीक्षा की जानी अपेक्षित होती है और ऐसे कर्मचारियों को भी अंतर-मंडल आधार पर स्थानांतरित किया जाना होता है। बहरहाल, यदि संबंधित कर्मचारी इस आशय का अनुरोध करता है तो ऐसे टिकट चैकिंग कर्मचारी को, उसी रेलवे के समीपवर्ती मंडल पर अथवा उस रेलवे जहां से वे स्थानांतरित किए जाते हैं, के समीपवर्ती किसी अन्य रेलवे के मंडल पर स्थानांतरित किया जाए। टिकट चैकिंग कर्मचारी जिन्हें भ्रष्टाचार की शिकायत होने पर मंडल से बाहर स्थानांतरित किया गया है और जिन्हें बाद में दोषमुक्त पाया गया है अथवा शास्ति के रूप में निंदा की गई है भले ही वे चाहे तो भी उन्हें मूल मंडल में वापस न भेजा जाए।
3. सं. ई (एनजी)I-98/टीआर/11
दिनांक 30.10.98 एवं 02.11.98
1. सं. ई (एनजी)II-77/टीआर/112
दिनांक 06.02.1978 एवं 27.05.1978
एस.पी.ई. एवं सतर्कता संगठन की पहल पर स्थानांतरित कर्मचारियों की वास्तविक शिकायत की सुनवाई स्थानांतरण संबंधी अंतिम निर्णय लेने से पहले मंडल स्तर पर नियंत्रित कर्मचारी के संबंध में मंडल रेल प्रबंधक द्वारा और मुख्यालय स्तर पर नियंत्रित कर्मचारी के संबंध में मुख्य कार्मिक अधिकारी (प्रशा.) द्वारा की जाए।
2. सं. ई (एनजी)II-70/टीआर/28
दिनांक 14.10.70
बहरहाल, महाप्रबंधक अपने विवेकाधिकार का प्रयोग करते हुए अराजपत्रित कर्मचारी को उन स्टेशनों/पदों, जहां से उसके विरुद्ध शिकायत प्राप्त हुई है, से स्थानांतरित कर सकता है- जो कर्मचारी सबसे लंबे समय से एक ही जगह पर है उसे पहले शिफ्ट किया जाए और जिनकी सेवानिवृत्ति होने वाली है {एक (1) अथवा दो (2) वर्ष की सेवा बाकी है }यदि उसके विरुद्ध की गई शिकायत गंभीर न हो तो उसे छूट प्रदान की जाए।
3. सं. ई (एनजी)I-81/टीआर/19
दिनांक 23.05.81
रेल सेवकों के बार-बार स्थानांतरण आदेश न किए जाए। जब रेल सेवक का स्थानांतरण अस्थायी आधार पर किया जाए तो उसके स्थानांतरण आदेशों में इसका जिक्र किया जाए।
4. सं. ई (एनजी)I-2002/टीआर/19
दिनांक 13.9.2002
छोटे स्टेशनों पर कार्यरत स्टेशन मास्टरों/सहायक स्टेशन मास्टर, जो केवल ट्रेन पार्सिंग ड्यूटियाँ ही करते हों और जो कोई वाणिज्यिक ड्यूटी न करते हों, को नियतकालिक स्थानांतरण की परिधि से छूट दी जाए।
1. सं. ई (एनजी)I-2009/टीआर/7
दिनांक 04.03.2010
यह जोर दिया गया था कि नियतकालिक स्थानांतरण की योजना के अनुपालन एवं मूल उद्देश्य सुनिश्चित करते हुए स्थानांतरित किए जाने वाले कर्मचारी के बच्चों के शैक्षिक सत्र को भी ध्यान में रखा जाए।

1. सं. ई (एल) 60 यूटी1-31
दिनांक 19.02.1960
 2. सं. ई (एल) 61 पीई 1-43
दिनांक 31.07.1961
 3. सं. ई (एलआर) 75 यूटी 1-176
दिनांक 08.08.75
 4. सं. ई (एलआर) III/79 यूटीएफ/14
दिनांक 16.01.1980
 5. सं. ई (एल) 64 यूटीआई-113
दिनांक 06.10.1964 एवं
21.11.1964
- संघ के पदाधिकारियों के स्थानांतरण के लिए प्रक्रिया को निर्धारित करने वाले बोर्ड के विभिन्न पत्रों में अंतर्विष्ट अनुदेश, जिन्हें बोर्ड के दिनांक 16.01.1980 के पत्र सं.ई (एलआर) III/79 यूटीएफ/14 के पत्र के तहत दोहराया गया है, यथावत् रहेंगे। कृपया इनका अनुपालन सुनिश्चित करें।

2. इस परिपत्र का संदर्भ लेते समय उपयुक्त अनुपालन के लिए इसमें उल्लेख किए गए मूल पत्रों को पढ़ा जाए। यह परिपत्र अभी तक जारी अनुदेशों का संकलन मात्र है और इसे मूल पत्रों के प्रतिस्थापन के रूप में न लिया जाए। किसी प्रकार का संदेह होने पर मूल परिपत्रों को प्राधिकार के रूप में माना जाए। यदि कोई ऐसा परिपत्र जिसको अधिक्रमण न किया गया हो और उसे इस समेकित पत्र को तैयार करते समय भूलवश ध्यान में नहीं रखा गया हो तो उक्त परिपत्र को मान्य और लागू माना जाए।

कृपया पावती दें।


(एम.के.मीना)

उप निदेशक, स्थापना (अराज.)
रेलवे बोर्ड

सं. ई (एनजी) I-2009/टीआर/7

नई दिल्ली, दिनांक: 03.02.2012

प्रतिलिपि प्रेषित:

1. महासचिव, ऑल इंडियन रेलवेमैन फेडरेशन, कमरा नं. 253, रेल भवन, नई दिल्ली (35 प्रतियां)।
2. महासचिव, नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन रेलवेमैन, कमरा नं. 256-ई, रेल भवन, नई दिल्ली (35 प्रतियां)।
3. विभागीय परिषद एवं राष्ट्रीय परिषद के सभी सदस्य, सचिव कर्मचारी पक्ष, राष्ट्रीय परिषद, 13-सी, फिरोजशाह रोड, नई दिल्ली (60 अतिरिक्त प्रतियां)।
4. महासचिव, फेडरेशन ऑफ रेलवे ऑफिसर्स एसोसिएशन, कमरा नं. 256-ए, रेल भवन, नई दिल्ली (5 अतिरिक्त प्रतियां)।
5. महासचिव, इंडियन रेलवे प्रमोटी ऑफिसर्स एसोसिएशन, कमरा नं. 268, रेल भवन, नई दिल्ली (5 अतिरिक्त प्रतियां)।
6. महासचिव, ऑल इंडिया आरपीएफ एसोसिएशन, कमरा सं. 256-डी, रेल भवन, नई दिल्ली-110 001.
7. सचिव, आरबीएसएस, ग्रुप "ए" ऑफिसर्स एसोसिएशन, रेल भवन, नई दिल्ली।